

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :-महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 21 / 2020

1. श्रीमती गेंजीदेवी 40 बांगू सिट नैगा नि० बंमाली-हल्का नैगा

—प्रार्थी।

बनाम
1. श्रीमती गेंजीदेवी 40 जाराण गुर्जर नि० बंमाली-हल्का नैगा-कॉरेडा
—विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 8/9/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 के त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बंमाली पटवार हल्का बंमाली अ0नि0 क्षेत्र बंमाली में उनके खाता संख्या 1148 की आ0नं 2710 रुकवा 1:04 कुल जित 1 रुकवा 1:04 बिघा स्थित है।

प्रस्तुत भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/9/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से प्ररगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम बंमाली पटवार हल्का बंमाली भू0अ0नि0 क्षेत्र बंमाली में उनके खाता ख्या 1148 की आ0नं 2710 रुकवा 1:04 बिघा कुल जित 1 रुकवा 1:04 बिघा

भूमि स्थित है। मि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि० बंमाली को 450/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर गीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व ळ्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल बड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंगन :-प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा (जिला भीलवाडा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा (जिला भीलवाडा)